"Any person directly or indirectly associated with the films entered for competition in feature or non-feature category, shall not be eligible to serve on any of the jury panels."

(4) The rules provided that films produced in India and certified by the Central Board for Film Certification between 1st January and 31st December are eligible to be considered. To fecilitate entry of films produced in the calendar year should there be a delay on the part of the Central Board of Film Certification to issue certificate just because of holiday on 31st December, the following provision has been added:—

"In case 31st December is holiday, the next official working day shall be considered as the last date."

(5) The last date for receipt of entries has been changed from 28th February to 31st March as it is found necessary to give adequate time to the film producers to submit their entries.

आकाशवाणी द्वारा विदेशी भाषाओं में प्रसारण

2329. **श्री गोविन्दराव आदिक:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा कई विदेशी भाषाओं में भी प्रसारण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हीं भाषाओं में दूरदर्शन के उपग्रह चैनल पर भी कार्यक्रम प्रसारित करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) जी हां। आकाशवाणी अपनी विदेश सेवा में रोजाना 16 विदेशी भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है।

(ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय दूरदर्शन के पास पूर्ण-सुसज्जित विदेश सेवा नहीं है।

प्रसारण क्षमता में वृद्धि किया जाना

2330. **श्री गोविन्दराव आदिक:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई दूरदर्शन केन्द्रों के आस-पास रहने वाली जनता उन केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने की मांग करती आयी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से केन्द्र हैं जिनकी क्षमता बढ़ाने की मांग की गयी है; और

(ग) ऐसे केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) से (ग): देश में मौजूदा टी.वी. ट्रांसमीटरों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर विभिन्न भागों से प्रत्यावेदन प्राप्त होते हैं। समग्र संसाधनों और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इस संबंध में सुनिर्धारित नीति के संदर्भ में सरकार का सतत प्रयास रहता है कि मौजूदा ट्रांसमीटरों की शक्ति में वृद्धि सहित देश में टी.वी. कवरेज का विस्तार किया जाए। उन स्थानों की राज्यवार सूची विवरण में दी गई है, (नीचे देखिये), जहां मौजूदा टी.वी. ट्रांसमीटरों की शक्ति में वृद्धि करने से संबंधित स्कीमें कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित हैं।

विवरण

उन स्थानों की सूची जहां देश में मौजूदा टी.वी. ट्रांसमीटरों की शक्ति को बढ़ाने से संबंधित स्कीमें कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित हैं

राज्य	स्थान
आन्ध्र प्रदेश	कुर्नूल
	नांदयाल
	राजामुन्द्ररी
	वारंगल
	हैदराबाद (डीडी-II)
	ओंगोली
	पडेरू
अरूणाचल प्रदेश	मियाओ
असम	तेजपुर
	जोरहाट
	बोंगईगांव/कोकराझार
बिहार	बेतिया
	जमशेदपुर
	देवगढ़
हरियाणा	हिसार
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला
गुजरात	भुज
	सूरत
	बडोदरा
	जूनागढ़
	पालिताना
	देवगढ़-बारिया